भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1506

09 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत 1.0 और अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब

1506 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अमृत 1.0 और अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं का, बजट आवंटन और उसमें से उपयोग किया गया बजट, परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, परियोजनाओं के लंबित होने संबंधी जानकारी आदि सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) जलापूर्ति और मल-जल निकासी/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं का, आवंटित बजट और उसमें से उपयोग किया गया बजट, परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, परियोजनाओं के लंबित होने संबंधी जानकारी आदि सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों को वित्तीय या परिचालन संबंधी सहायता प्रदान करने में हुए विलंब सहित परियोजनाओं के पूरा होने में हुए विलंब की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 25 जून 2015 को देश भर के चुनिंदा 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की शुरुआत की गई है। यह मिशन जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क तथा गैर-मोटरीकृत शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है।

अमृत के अंतर्गत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने संपूर्ण मिशन अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 77,640 करोड़ रू. की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें 35,990 करोड़ रू. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। अब तक अमृत के तहत परियोजनाओं के लिए 34,869.15 करोड़ रू. की धनराशि जारी की गई है, जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 32,202.94 करोड़ रू. के उपयोग की सूचना दी है। अमृत पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 83,374 करोड़ रू. की लागत की 5,995 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं और 78,404 करोड़ रू. के कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं। अमृत के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। अमृत के अंतर्गत 43,242 करोड़ रू. की लागत वाली 1,390 जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 41,134 करोड़ रू. के कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण किए गए है। 34,488 करोड़ रू. वाली 888 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र की परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 32,022 करोड़ रू. के

कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं। अमृत के अंतर्गत शुरू की गई जलापूर्ति और सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अमृत 2.0 योजना सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में 01 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकेंगे। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। जल निकायों का पुनरुद्धार, हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास आदि मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रू. है, जिसमें पांच वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रू. का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए 66,750 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता आवंटित की गई है, जिसमें से 63,976.77 करोड़ रुपये पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमोदित किए जा चुके हैं और अब तक 11,756.13 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केंद्रीय हिस्से के 6,539.45 करोड़ रुपये के उपयोग की सूचना दी है। कुल मिलाकर, राज्य के हिस्से के साथ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल व्यय 17,089 करोड़ रुपये है और 23,016.30 करोड़ रुपये के कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत 1,14,073.65 करोड़ रू. की लागत वाली 3,596 जलापूर्ति परियोजनाओं और 68,198 करोड़ रू. की लागत वाली 595 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। अमृत 2.0 के अंतर्गत इन परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

अमृत और अमृत 2.0 के तहत शुरू की गई परियोजनाएं लंबी निर्माण अवधि वाली बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं। अमृत 2.0 दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के तहत किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। आईआरएमए की रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। साथ ही, अमृत के कार्यान्वयन को तेज़ करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके शहरी स्थानीय निकायों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई परियोजनाओं की प्रगति और निगरानी पर नज़र रखने के लिए एक विशिष्ट अमृत 2.0 ऑनलाइन पोर्टल है।

"अमृत 1.0 और अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजना पूर्ण होने में विलंब" के संबंध में दिनांक 09.12.2024 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1506 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

अमृत के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)वार परियोजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरंभ की जा चुकी परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रू. में)	पूर्ण की जा चुकी परियोजनाएं	वास्तविक रूप से पूर्ण कार्य (करोड़ रू. में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	79	10.90	73	10.57
2	आंध्र प्रदेश	226	3333.76	136	2660.74
3	अरूणाचल प्रदेश	11	129.81	10	118.39
4	असम	17	625.71	12	581.56
5	बिहार	65	2575.72	50	2383.64
6	चंडीगढ़	12	57.41	12	57.41
7	छत्तीसगढ़	293	2269.50	284	2260.99
8	दादरा तथा नगर हवेली	2	41.45	2	41.45
	दमन और दीव	3	25.98	3	25.98
9	दिल्ली	26	674.77	20	628.42
10	गोवा	15	259.98	12	229.36
11	गुजरात	451	5165.96	443	5158.01
12	हरियाणा	136	2919.99	127	2764.53
13	हिमाचल प्रदेश	75	304.51	70	301.17
14	जम्मू और कश्मीर	84	527.99	82	516.91
15	झारखंड	59	1615.06	42	1256.70
16	कर्नाटक	407	5118.95	391	4904.67
17	केरल	1111	2538.74	969	2252.78
18	लद्दाख	20	72.02	9	33.73
19	लक्षद्वीप	6	2.42	6	2.42
20	मध्य प्रदेश	216	6765.91	198	6261.74
21	महाराष्ट्र	207	8011.32	174	7451.89
22	मणिपुर	6	211.87	1	202.66
23	मेघालय	15	81.65	13	81.47
24	मिज़ोरम	15	136.58	14	131.18
25	नागालैंड	27	126.96	21	121.36
26	ओडिशा	191	1714.42	191	1714.42
27	पुडुचेरी	23	64.10	20	62.50
28	पंजाब	163	2761.02	128	2415.67
29	राजस्थान	144	3548.32	122	3467.45
30	सिक्किम	75	37.53	75	37.53
31	तमिलनाडु	445	13339.43	433	12504.52
32	तेलंगाना	66	1663.08	66	1663.08
33	त्रिपुरा	10	160.28	10	160.28
34	उत्तर प्रदेश	670	11838.07	599	11404.79
35	उत्तराखंड	151	592.97	143	583.02
36	पश्चिम बंगाल	473	4050.25	456	3951.26
	कुल	**5995**	**83374.39**	**5417**	**78404.24**

"अमृत 1.0 और अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजना पूर्ण होने में विलंब" के संबंध में दिनांक 09.12.2024 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1506 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

अमृत के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जलापूर्ति और सीवरेज तथा सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जलापूर्ति			सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन		
		सं.	परियोजना लागत (करोड़ रू. में)	वास्तविक रूप से पूर्ण कार्य (करोड़ रू. में)	सं.	परियोजना लागत (करोड़ रू. में)	वास्तविक रूप से पूर्ण कार्य (करोड़ रू. में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	68	6.61	6.2836	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	73	2319.77	2053.592	40	590.78	333.7711
3	अरूणाचल प्रदेश	4	33.12	33.12	2	53.5	42.076
4	असम	4	609.73	565.5866	-	-	-
5	बिहार	37	2306.63	2185.999	-	-	-
6	चंडीगढ़	7	35.87	35.87	2	20.2	20.2
7	छत्तीसगढ़	70	1861.86	1853.401	29	374.49	374.49
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	41.28	41.28	2	21.96	21.96
9	दिल्ली	9	245.64	244.26	7	408.79	365.0038
10	गोवा	3	96.63	82.1745	3	117.53	101.366
11	गुजरात	132	1718.92	1715.852	98	2943.89	2941.591
12	हरियाणा	40	770.19	717.7996	44	1655.23	1567.65
13	हिमाचल प्रदेश	25	83.3	82.7829	14	99.71	99.71
14	जम्मू और कश्मीर	2	26	26	15	137.26	135.98
15	झारखंड	15	1334.18	1027.244	9	251.5	200.0788
16	कर्नाटक	44	2213.09	2107.716	55	2499.92	2401.294
17	केरल	217	1558.54	1391.034	152	381.87	312.5812
18	लद्दाख	9	32.15	20.6288	2	4.96	4.9296
19	लक्षद्वीप	3	2.34	2.34	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	32	2280.8	2267.048	29	3880.56	3417.209
21	महाराष्ट्र	42	4444.1	4246.268	36	3294.03	2932.436
22	मणिपुर	3	207.37	199.0752	-	-	-
23	मेघालय	5	22.7	22.5248	2	57.13	57.13
24	मिज़ोरम	3	51.68	51.68	2	10.06	4.66
25	नागालैंड	2	8	8	2	8	5.25
26	ओडिशा	130	1535.57	1535.57	13	138.21	138.21
27	पुडुचेरी	5	51.03	50.1402	9	11.43	10.718
28	पंजाब	58	1242.28	960.1433	62	1504.65	1442.841
29	राजस्थान	31	1008.22	981.5427	30	2422.54	2369.848
30	सिक्किम	2	5	5	-	-	-
31	तमिलनाडु	18	7436.02	7186.267	18	5670.8	5085.641
32	तेलंगाना	27	1424.09	1424.09	4	203.3	203.3
33	त्रिपुरा	6	145.19	145.19	1	11.42	11.42
34	उत्तर प्रदेश	170	4267.71	4136.49	159	7333.54	7046.39
35	उत्तराखंड	47	355.23	351.2073	44	188.1	184.092
36	पश्चिम बंगाल	46	3460.96	3370.64	3	192.5	190.45
कुल		**1390**	**43241.8**	**41133.84**	**888**	**34487.86**	**32022.28**

"अमृत 1.0 और अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजना पूर्ण होने में विलंब" के संबंध में दिनांक 09.12.2024 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1506 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

अमृत 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित परियोजनाएं		वास्तविक रूप से पूर्ण कार्य (करोड़ रू.)
		परियोजनाओं की सं.	कुल लागत (करोड़ रू.)	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	34.90	
2	आंध्र प्रदेश	552	8517.69	429.07
3	अरूणाचल प्रदेश	19	185.02	3.14
4	असम	60	961.98	37.01
5	बिहार	64	8481.14	
6	चंडीगढ़	6	175.94	28.20
7	छत्तीसगढ़	111	2541.68	199.99
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	63.47	
9	दिल्ली	89	2499.05	245.74
10	गोवा	24	173.42	10.66
11	गुजरात	922	17717.74	3540.97
12	हरियाणा	57	1727.36	190.17
13	हिमाचल प्रदेश	49	321.66	60.20
14	जम्मू और कश्मीर	153	1665.11	5.76
15	झारखंड	113	4202.53	72.96
16	कर्नाटक	703	10274.13	858.90
17	केरल	740	3743.43	414.45
18	लद्दाख	3	195.05	
19	मध्य प्रदेश	1273	12963.14	412.11
20	महाराष्ट्र	303	31722.23	3873.61
21	मणिपुर	32	155.73	1.36
22	मेघालय	1	121.00	91.96
23	मिज़ोरम	166	157.78	40.54
24	नागालैंड	64	218.90	
25	ओडिशा	348	3940.98	1276.09
26	पुडुचेरी	19	189.68	55.58
27	पंजाब	195	3659.47	15.24
28	राजस्थान	321	10823.72	1432.32
29	सिक्किम	8	49.41	17.52
30	तमिलनाडु	1270	14687.83	4809.45
31	तेलंगाना	252	9584.26	69.06
32	त्रिपुरा	18	191.53	113.85
33	उत्तर प्रदेश	654	26626.97	3476.53
34	उत्तराखंड	19	263.04	48.89
35	पश्चिम बंगाल	388	10621.59	1184.99
कुल		**8998**	**189458.55**	**23016.30**

"अमृत 1.0 और अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजना पूर्ण होने में विलंब" के संबंध में दिनांक 09.12.2024 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1506 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-IV

<u>अमृत 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जलापूर्ति एवं सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं</u>

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जलापूर्ति		सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	
		सं.	परियोजना लागत (करोड़ रू. में)	सं.	परियोजना लागत (करोड़ रू. में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	34.9	-	-
2	आंध्र प्रदेश	269	5268.19	87	2727.46
3	अरूणाचल प्रदेश	7	169.27	-	-
4	असम	24	876.16	2	67.34
5	बिहार	22	3232.73	17	5195.36
6	चंडीगढ़	2	60	4	115.94
7	छत्तीसगढ़	46	1716.5	5	775.5
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	1	63.47
9	दिल्ली	2	314.39	33	2003.05
10	गोवा	20	138.37	1	21.26
11	गुजरात	430	7566.25	171	9380.23
12	हरियाणा	48	1443.74	9	283.62
13	हिमाचल प्रदेश	17	298.87	2	11.6
14	जम्मू और कश्मीर	99	976.09	4	669.73
15	झारखंड	17	1782.03	1	2284.02
16	कर्नाटक	246	9589.65	-	-
17	केरल	251	2413.66	45	1143.97
18	लद्दाख	-	-	2	192.05
19	मध्य प्रदेश	417	6889.58	36	5432.04
20	महाराष्ट्र	126	16334.54	51	13630.6
21	मणिपुर	9	146.09	-	-
22	मेघालय	1	121	-	-
23	मिज़ोरम	19	105.81	1	39.22
24	नागालैंड	23	111.16	2	93.92
25	ओडिशा	211	3756.67	-	-
26	पुडुचेरी	6	73.37	4	107.14
27	पंजाब	148	2960.65	9	630.78
28	राजस्थान	183	5123.06	38	5341.57
29	सिक्किम	5	47.37	-	-
30	तमिलनाडु	201	7721.59	30	6623.4
31	तेलंगाना	98	3429.04	12	5775.11
32	त्रिपुरा	9	169.07	-	-
33	उत्तर प्रदेश	419	21078.19	26	5054.93
34	उत्तराखंड	19	263.04	-	-
35	पश्चिम बंगाल	201	9862.63	2	534.68
कुल		**3596**	**114073.65**	**595**	**68198**
